

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-5/स्थानान्तरण/भूगोल /2019-20 दिनांक 29.9.19 के तहत नरनारायण पुरोहित, व्याख्याता, भूगोल राउमावि, राजमहल, जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि बावडी, जोधपुर किया गया। नरनारायण पुरोहित ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर में अपील संख्या 588/2019 नरनारायण पुरोहित बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 588/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.19 द्वारा अपीलार्थी नरनारायण पुरोहित को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी नरनारायण पुरोहित द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के बीएलओ के अतिरिक्त प्रभार के आधार पर अपना पदस्थापन निरस्त करने अथवा राउमावि सालावास, जोधपुर, राउमावि कोतवाली, जोधपुर एवं राउमावि सिवांची गेट, जोधपुर में पदस्थापन की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान जोधपुर जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।


(नथमल डिंडेल)

आई.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 18/11/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/अभ्यावेदन/19-20/444

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को सूचनार्थ।
05. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को दिभागीय बैकसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधान्यकार्य।
09. संबंधित कार्मिक।
10. गार्ड फाइल।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर